राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1030/2018.. जिला ....अजमेर..

उनवान : मैसर्स एटलस कॉप्को इण्डिया लिमि., 47 से 49, न्यू आर.के.कॉलोनी, बराल–II, बिजयनगर (अजमेर)

बनाम

सहायक आयुक्त, वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, अजमेर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्डपीठ श्री के. एल. जैन, सदस्य श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य	
06/09/2018	अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के स्थगन/अपील क्रमांक 46/18–19/वैट/अजमेर में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 13.08.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, अजमेर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा वेट अधिनियम की धारा 24(3)(बी), 25(4), 55, 61 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 28.3.2018 से सृजित मांग राशि 15,80,95,411/– की वसूली हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना–पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए रूपये 9,68,33,110/– की मांग को स्थगित करते हुए शेष राशि रूपये 5,44,63,768/– को वसूल योग्य अवधारित किया है। अतः अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरण में बकाया वसूली योग्य मांग राशि रूपये 5,44,63,768/– की वसूली कार्यवाही स्थगित किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। अपीलार्थी के अपील स्थगन प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक श्री नौरतमल जैन तथा राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री डी. पी. ओझा की बहस सुनी गयी। उभय पक्ष की बहस पर मनन करने तथा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का अवलोकन करने के पश्चात पाया गया कि प्रकरण में कर दर का बिन्दु विवादित है, ऐसी स्थिति में स्थगन के बिन्दु पर प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन (Balance of convenience) अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः **प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** प्रकरण में बकाया शेष राशि **रूपये 5,44,63,768/–** की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate लगातार.............2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1030 / 2018.. जिला ....अजमेर..

उनवान : मैसर्स एटलस कॉप्को इण्डिया लिमि., 47 से 49, न्यू आर.के.कॉलोनी, बराल–II, बिजयनगर (अजमेर)

बनाम

सहायक आयुक्त, वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, अजमेर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06 / 09 / 2018	security) प्रस्तुत करेंगे। प्रकरण में विवादित राशि के मद्देनजर अपीलीय अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपील का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	